

स्पीड पोस्ट  
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-306/2015 श्र0सं0-

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

[[[

प्रेषक,

मो० सलीम,  
श्रम आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
बक्सर/भभुआ(कैमूर)/सुपौल/जमुई/खगड़िया/प० चंपारण(बेतिया)/पटना ।  
पटना, दिनांक :- 2-3-16

विषय:-

आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण- मांग  
संख्या-26उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-P-2230011030103)  
के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1455 दिनांक 18.05.15 के आलोक  
में चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 में 31 मार्च, 2016 तक व्यय हेतु आपकी अध्यक्षता में गठित " बाल श्रमिक  
पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु रू० 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर  
से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र०सं०	प्राथमिक इकाईयाँ	जिला का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	28-01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	बक्सर	22	110000
2	तदैव	भभुआ(कैमूर)	33	165000
3	तदैव	सुपौल	15	75000
4	तदैव	जमुई	18	90000
5	तदैव	खगड़िया	20	100000
6	तदैव	प० चंपारण(बेतिया)	18	90000
7	तदैव	पटना	23	115000
कुल योग			149	745000

कुल आवंटित राशि रूपये सात लाख पैतालिस हजार मात्र ।

- वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि० दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

(मो० सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।

01/3/16

ज्ञापांक-6/एफ1-306/2015 श्र0सं0-

[[[

पटना, दिनांक

2-3-16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(मो० सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।

\*स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक-6/एफ1-306/2015 श्र0सं0-

111

पटना, दिनांक

2.3.16

प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/  
\*(संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी)/संबंधित उप श्रमायुक्त /संबंधित सहायक श्रमायुक्त/  
संबंधित श्रम अधीक्षक/श्रमायुक्त के सचिव, पटना/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/  
प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /सहायक श्रमायुक्त, शोध एवं प्रशाखा पदाधिकारी-01 श्रम पक्ष को उनके गै०स०प्रे०सं०-  
क्रमशः 72 एवं 78(श्रम पक्ष), क्रमशः दिनांक-26.02.16 एवं 29.02.16 के आलोक में /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

(मो० सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।

01/3/16